19/अप्रै

न्यायालय सभागीय आयुक्त कोटा संभाग, कोटा

(निर्णय बईजलास उर्मिला राजोरिया आई0ए0एस0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 16/2024/अपील/आर्म्स एक्ट/झालावाड

दायरा दिनांकः 19.2.2024

अन्तर्गत धाराः 18 आर्म्स एक्ट

उनवान

मुबारिक मंसूरी आत्मज रहीम बक्श जाति मुसलमान निवासी लुहार मोहल्ला झालरापाटन जिला झालावाड।
...अपीलार्थी

बनाम

राज0 सरकार जरिये जिला कलक्टर एव जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड–राज0।
... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री चन्द्रप्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक –अपीलार्थी
पैरोकार सरकार –रेस्पो0

::निर्णय::

दिनांक 24.6.2024

अपीलार्थी ने न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा मि0 नं0 55/16 उनवान राजस्थान सरकार जरिये जिला मजि0 झालावाड बनाम मुबारिक मंसूरी मे पारित निर्णय दिनांक 27.9.2017 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) के विरूद्ध यह अपील आर्म्स एक्ट, 1959 की धारा 18 के अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि अपीलार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे 12 बोर गन का शस्त्र अनुज्ञापत्र चाहने हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के संबध मे जिला पुलिस अधीक्षक झालावाड की रिपोर्ट दिनांक 30.11.2015 अनुसार लाईसेन्स दिया जाना उचित नही दर्शित करते हुये असहमति की रिपोर्ट पेश की गई थी परन्तु तत्समय जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 ने पत्रावली पर अलाउ किया जाकर स्वीकृति दी गयी थी। स्वीकृति पश्चात कियान्विति आदेश पर हस्ताक्षर नही किये जा सके तथा अनुज्ञापत्र जारी नही किया गया। जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 झालावाड द्वारा दिनांक 27.9.2017 को यह मानकर प्रकरण का निस्तारण कर दिया कि अपीलार्थी नवीन शस्त्र अनुज्ञापत्र हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र है। इस आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय जयपुर मे रिट याचिका 10180/2018 प्रस्तुत की गई जिसमे माननीय न्यायालय ने 18.12.23 को निर्णय पारित करते हुये अपीलार्थी निर्णय की दिनांक से एक माह की अवधि मे अपील पेश करने के लिये स्वतंत्र होना तथा अपील का निस्तारण उचित सुनवायी कर 3 माह के भीतर करने का निर्देश दिया गया जिसकी पालना मे अपीलांट द्वारा जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 झालावाड के निर्णय दिनांक 27.9.2017 के विरूद्ध यह अपील न्यायालय हाजा मे इस आशय की पेश की गई कि जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 झालावाड द्वारा पूर्व मे पारित निर्णय दिनांक 1.9.10 के विरूद्ध अपील पेश की गई थी जिसमे पारित निर्णय दिनांक 21.3.2016 के बिन्दू सं0 6 मे वर्णित तथ्यों का समुचित परीक्षण कर विधि सम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमांड किया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने रिमांड निर्देशो की पालना नही की। निर्णय के पैरा 6 मे जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 द्वारा लाईसेन्स जारी की स्वीकृति दिया जाना प्रकट होता है उक्त आदेशिका की पालना मे दिनांक 1.9.2010 को आदेश तैयार कर अनुमोदन की स्थिति मे हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत किये जाने पर जिला मजि0 झालावाड ने अलाउ लिखा है जिससे प्रथम दृष्टया अपीलार्थी लाईसेन्स जारी किये जाने की स्वीकृति दिया जाना प्रकट है इन तथ्यो पर अधीनस्थ न्यायालय ने उचित गौर नही किया। शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नही किये जाने संबधित अन्य कोई तथ्य पत्रावली मे उपलब्ध नही था इसके बावजूद भी शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नही करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने रिमांड आदेश की पालना मे पुनः रिपोर्ट भी तलब नही की गई तथा यह मानकर जेरअपील निर्णय पारित कर दिया कि कि किन परिस्थितियों मे अलाउ स्वीकृति के पश्चात कियान्विति आदेश पर हस्ताक्षर नही किये जा सके इस बावत किसी प्रकार की टिप्पणी

संभागीय आयुक्त
कोटा संभाग, कोटा

का अंकन किया जाना उचित नही कहा जा सकता। तत्समय जिला कलक्टर द्वारा पत्रावली पर दिये गये जादेश के पश्चात हस्ताक्षर नही करना उनके स्वयं के विवेकानुसार कार्य करने की सक्षमता की परिभाषा मे आना मानकर निर्णय जेरअपील पारित करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अतः अपील स्वीकार की जाकर जेरअपील निर्णय दिनांक 27.9.22017 निरस्त करने तथा अपीलार्थी को शस्त्र अनुज्ञापत्र 12 बोर गन का जारी करने की आज्ञा प्रदान की जावे।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने उपरांत प्रकरण मे बहस अभिभाषक अपीलांट एवं रेस्पो0 पैरोकार सरकार सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को ही दोहराया तथा कथन किया कि अधीनस्थ अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपील प्रकरण 4/2016 मे पारित निर्णय दिनांक 21.3.2016 के बिन्दू सं0 6 मे दिये गये रिमांड निर्देशो पर कोई गौर नही किया तथा ना ही प्रकरण मे संबधित विभाग की पुनः रिपोर्ट मंगवायी गई। जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 द्वारा लाईसेन्स जारी करने की स्वीकृति दिया जाना प्रकट होता है उक्त आदेशिका की पालना मे दिनांक 1.9.2010 को आदेश तैयार कर अनुमोदन की स्थिति मे हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत किये जाने पर जिला मजि0 झालावाड ने अलाउ लिखा है जिससे प्रथम दृष्टया अपीलार्थी को लाईसेन्स जारी किये जाने की स्वीकृति दिया जाना प्रकट है इन तथ्यो पर अधीनस्थ न्यायालय ने उचित गौर नही किया। शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नही किये जाने संबधित अन्य कोई तथ्य पत्रावली मे उपलब्ध नही था इसके बावजूद भी शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी नही करने मे अधीनस्थ न्यायालय ने त्रुटि की है। अंत मे अपील सवीकार करने का अनुरोध किया।

4 रेस्पोडेन्ट की ओर से पैरोकार सरकार ने अधीनस्थ न्यायालय का अदेश न्यायोचित होना जाहिर करते हुये अपील खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एंव रेस्पो0 पैरोकार सरकार पर मनन किया। पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख आदेशिका दिनांक 31.8.2010 अनुसार लाईसेन्स दिये जाने की स्वीकृति दिया जाना प्रकट होता है। उक्त आदेशिका की क्रियान्विति के संबध मे दिनांक 1.9.10 को आदेश तैयार कर अनुमोदन की स्थिति मे हस्ताक्षरार्थ प्रस्तुत किये जाने पर जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 झालावाड द्वारा "अलाउड अंकित किया है जिससे प्रथम दृष्टया अपीलार्थी शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी किये जाने की स्वीकृति दिया जाना प्रकट है किन्तु क्रियान्विति आदेश पर हस्ताक्षर नही है। अनुज्ञापत्र जारी नही किये जाने संबधी अन्य कोई तथ्य पत्रावली मे मौजूद नही है। जिला पुलिस अधीक्षक की असहमति की रिपोर्ट 30.11.2015 की है जबकि जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 झालावाड द्वारा शस्त्र अनुज्ञापत्र जारी करने की स्वीकृति 31.8.2010 की है। उक्त तथ्यों के आलोक मे न्यायालय हाजा द्वारा पूर्व मे प्रस्तुत की गई अपील सं0 4/16 मे पारित निर्णय दिनांक 21.3.2016 से अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर उक्त अपील मे पारित निर्णय के बिन्दू सं0 6 मे वर्णित तथ्यों का समुचित परीक्षण कर विधि सम्मत कार्यवाही/निर्णय हेतु प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया गया था किन्तु जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 झालावाड ने न्यायालय हाजा द्वारा उपर्युक्त निर्णय के बिन्दू सं0 6 मे दिये गये दिशा निर्देशो की पालना किये बिना जेरअपील निर्णय पारित किया जाना प्रकट होता है। ऐसी स्थिति मे हम अधीनस्थ न्यायालय के आलौच्य जेरअपील निर्णय दिनांक 27.9.2017 को न्यायोचित नही पाते है। लिहाजा अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय अपास्त किये जाने योग्य है। परिणामस्वरूप उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 झालावाड द्वारा प्रकरण सं0 55/16 सरकार बनाम मुबारिक मे पारित निर्णय दिनांक 27.9.2017 अपास्त किया जाता है। न्यायालय हाजा द्वारा अपील प्रकरण सं0 4/16 मे पूर्व मे पारित निर्णय दिनांक 21.3.2016 के बिन्दू सं0 6 मे वर्णित तथ्यों का समुचित परीक्षण कर अपीलार्थी को विधिवत सुनवाई एंव पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत एंव तथ्यात्मक निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण जिला कलक्टर एंव जिला मजि0 झालावाड को प्रेतिप्रेषित (रिमांड) किया जाता है।

6 निर्णय आज दिनांक 24.6.2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

(उर्मिला राजोरिया)
संभागीय आयुक्त,कोटा
कोटा संभाग, कोटा